GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: INCLUSIVE EDUCATION BRANCH AMRITA SHERGIL SCHOOL BUILDING BEHIND LADY SHRI RAM COLLEGE, LAJPAT NAGAR-IV, NEW DELHI-110024

No. F.237/DDE(IEB)/Admn.Cell/2018/ 346 - 357

Dated: 27.01.2022

CIRCULAR

Copy of Notification for Recruitment Rules for the post of Assistant Director (Inclusive Education) in Directorate of Education, Govt. of N.C.T of Delhi, published in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV on 21/01/2022, is hereby circulated for information to all concerned.

Encl: As above

(NANDINI MAHARAJ, IAS) DEPUTY DIRECTOROF EDUCATION (IEB-HQ)

No. F.237/DDE(IEB)/Admn.Cell/2018/346 - 357

Dated: 27 .01 . 2022

Copy forwarded to the following for information:

- 1. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi -110069.
- 2. Secretary to Hon'ble Lt. Governor of Delhi, Raj Niwas, Delhi.
- 3. Pr. Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi.
- 4. Secretary, Law, Justice & LA Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New
- 5. Director, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. Deputy Secretary (Services), Services Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7. Deputy Secretary (GAD), General Administration Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8. Deputy Secretary, Delhi Subordinate Services Selection Board, Govt. of NCT of Delhi, FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi-92.
- 9. Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 10. All RDEs/DDEs/ADEs, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 11. Section Officer (IT) to upload the circular along with RRs in the Recruitment Rules Section of the website of this Directorate.
 - 12. Guard file.

(NANDINI MAHARAJ, IAS) DEPUTY DIRECTOROF EDUCATION (IEB-HQ) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232833 SG-DL-E-24012022-232833

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय (समावेशो शिक्षा शाखा) अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

सं.फा. 237/डी.डी.ई. (आई.ई.बी.)/प्रशा. सैल/2018/249.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक निदेशक (समावेशी शिक्षा) पद हेत् निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, सहायक निदेशक (समावेशी शिक्षा) भर्ती नियमावली 2021 कहा जाएगा।
 - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लाग होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

438 DG/2022 (1)

- **4. अयोग्यता** :- ऐसा कोई भी व्यक्ति
 - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव:— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक निदेशक (समावेशी शिक्षा)			
2.	पदों की संख्या	:	03 * (2021)			
			*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।			
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय राजपत्रित, समूह 'क'			
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर — 10 टिप्पणी : वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 10 (56100—177500 / — रुपये)			
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	चयन पद ।			
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं			
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य वांछनीय			नीय
			योग्यता	अनुभव	योग्यता	अनुभव
			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
					योग्यता मानक टीप	अनुभव मानक टीप
					लागू नहीं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्घारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु — लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता — लागू नहीं			
9.	परोवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो			
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		पद्धति		प्रतिशत	
			पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित		100	
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेंड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया	:	पदोन्नित ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण			

जाना है

सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर –9 (53100–167800 / –रूपये) में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत पर्यवेक्षक समावेशी शिक्षा जिला में से पदोन्नति ।

टीप:— जिन किनष्ट अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय है। उनके विरष्ट अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने किनष्ट अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (किनष्ट अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त या सांवधिक संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अनुसंघान संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी:—

- क. (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा
- (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर –9 (53100–167800 / –रूपये) के पदों में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले

अनिवार्य

- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि
- (ii) बी०एड० (विशेष शिक्षा)

अथवा

विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी०एड० (विशेष शिक्षा) अथवा विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डिप्लोमा

अथवा

बी०एड० (विशेष शिक्षा) तथा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक प्रमाण–पत्र

अथवा

विशेष शिक्षा में रनातकोत्तर डिप्लोमा (मानसिक मंदता)

थाशता

विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (बहु दिव्यांगता) : शारीरिक एवं तंत्रिका संबंधी

अथवा

विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (गतिमान दुर्बलता एवं प्रमस्तिष्क पक्षाघात)

अथवा

दृष्टि दोष में सकैण्डरी स्तर अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

अथवा

मुक के अध्यापन में सीनीयर डिप्लोमा

अथवा

दृष्टि दोष में बी०ए बी०एड०

			, ,	आरसीआई) के साथ पंजीकरण		
			(1V) दिव्याग बच्चा के लिए दि क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव	शिष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के		
			वांछनीय			
			(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पीएच0डी	य या संस्थान से विशेष शिक्षा में		
			(ii) कम से कम दो वर्ष का प्र	शासनिक अनुभव		
	की सीधी श्रृखंला में विचारणीय नहीं होंगे		की सीधी श्रृखंला में है वे विचारणीय नहीं होंगे। इसी	 भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नित गिधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु णीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। 		
			संगठन / विभाग में इस नियुक्ति गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति अवधि भी सम्मिलित है, यह स होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेर्	कार के उसी या किसी अन्य त से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य (अल्पकालिक संविदा सहित) की ामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं कालिक संविदा सहित) पर तु अधिकतम आयु सीमा आवेदन छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो	:	विभागीय पदोन्नति समिति	विभागीय स्थाईकरण समिति		
	इसकी संरचना क्या है?		1.अध्यक्ष / सदस्य , संघ लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष) 2.मुख्य सचिव, राष्ट्रीय	 प्रधान सचिव / सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 		
			राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)	2. प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
			3. प्रधान सचिव / सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)	ई.) (सदस्य)		
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर पद भर आवश्यक है ।	ने के लिए आयोग से परामर्श		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

शिंगारे रामचंद्र महादेव, पदेन संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

(Inclusive Education Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2022

No. F.237/DDE(IEB)/Admn.Cell/2018/249.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification S.O. 3532 dated 24th September, 1968, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following recruitment rules for the post of Assistant Director (Inclusive Education) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

- 1. **Short title and commencement.-**(i) These rules may be called the Directorate of Education, Assistant Director (Inclusive Education)., Recruitment Rules, 2021.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

- 2. **Number of posts, classification and pay level in the Pay Matrix.** The number of the said post, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications:-** No person:
 - a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(1)	Name of post.	Assistant Director (Inclusive Education)						
(2)	Number of posts.	3* (2021)						
		*Subject to variation dependent on workload.						
(3)	Classification.	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group, A.						
(4)	Pay level in the Pay	Level-10						
	Matrix.	Remark: Level 10 in the pay matrix (Rs.56,100 – 1,77,500/-)						
(5)	Whether Selection post/ Non-selection post.	Selection post.						
(6)	Age limits for Direct Recruits.	Not applicable						
(7)	Educational and	other			Desirable			
	qualification required for direct recruits.	direct	Qualification	Experience	Qualification Ex		Experience	
			Not applicable	Not applicable	Not applicable		Not applicable	
					Qualification Standard Note		Experience Standard Note	
					Not applicable		Not applicable	
(8)	Whether age and educ							
	qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.		Educational Qualifications: Not applicable					
(9)	Period of Probation if any.		2					
(10)	(10) Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.		Method Percentage					
			Promotion failing which Deputation including Short Term Contract			100		
(11)	In case of recruitment promotion/deputation/ abs	-	· 1					

grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

Education, Government of NCT of Delhi in Level-9 of the Pay Matrix (Rs.53,100-Rs.1,67,800) with two years regular service in the grade and having successfully completed 2 to 4 weeks training in the relevant field as prescribed by the department.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.

DEPUTATION INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT (ISTC):

Officers of the Central/State Government/UTs/Autonomous or Statutory organization/PSUs/ recognized University/research Institution:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with two years regular service in the posts in Level-9 of the Pay Matrix (Rs.53,100-Rs.1,67,800); and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

- (i) Masters Degree from a recognized university;
- (ii) B.Ed. (Special Education)

OR

B.Ed. (General Education) with one year Diploma in Special Education or two years Diploma in Special Education or Post Graduate Professional Diploma in

Special Education.

OR

B.Ed. (General Education) and Post Graduate Professional Certificate in Special Education.

OR

PG Diploma in Special Education (Mental Retardation).

OR

PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical and Neurological).

OR

PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy).

OR

Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment.

OR

Senior Diploma in Teaching the Deaf

OR

BA B.Ed. in Visual Impairment

- (iii) Registration with Rehabilitation Council of India (RCI).
- (iv) Five years experience in the field of special education or inclusive education for children with disabilities.

		Desirable:			
		 i) Ph.D in special education from a recognized university or institute. 			
		ii) At least two years administrative experience.			
		Note 1: The departmental officers in the feeder category direct line of promotion will not be eligible for coappointment on deputation. Similarly, deputationists shall for consideration for appointment by promotion.			
		Note 2: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central/State Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall not exceed 56 years, as on the closing date of receipt of applications.			
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Departmental Promotion Committee	Departmental Confirmation Committee		
		1. Chairman/Member, UPSC (Chairman)	1. Pr. Secretary/ Secretary (Education), Government of NCT of		
		2. Chief Secretary, Government of NCT of Delhi (member)	Delhi (Chairman)		
		3. Principal Secretary/ Secretary (Education), Government of NCT of Delhi	2. Pr. Secretary/ Secretary (Labour), Government of NCT of Delhi (member)		
		(member)	3. Special/ Addl. Secretary (TTE) (member)		
(13)	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.				

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMACHANDRA MAHADEV, Ex-Officio Jt. Secy. (Education)